



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236355  
CG-DL-E-06062022-236355

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944

No. 08]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.नि.आ. 8(अ).—केंद्रीय सरकार, वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 190 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुसेना विनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वायुसेना (संशोधन) विनियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वायुसेना विनियम, 1964 में,—
  - विनियम 213क के परन्तुक का लोप किया जाएगा;
  - विनियम 213क के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“213कख. केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, ऐसे अधिकारी जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल के रूप में सेवारत हो या ऐसा अधिकारी जो एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल की रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो किन्तु उसकी आयु ऐसी नियुक्ति की तारीख को बासठ वर्ष से अधिक की न हो, को नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु, केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का, अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगी।”

[फा. सं. 9/1/2017-पीओ (रक्षा) – भाग 1]

सतीश सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : इन विनियमों को अंतिम बार का.नि.आ. 21(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

**S.R.O. 8(E).**— In exercise of powers conferred by section 190 of the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Air Force Regulations, 1964, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Air Force (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Air Force Regulations, 1964, -

(i) the proviso to regulation 213A shall be omitted;

(ii) after regulation 213A, the following shall be inserted, namely:-

“213AB. The Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, appoint as Chief of Defence Staff, an officer who is serving as Air Marshal or Air Chief Marshal or an officer who has retired in the rank of Air Marshal or Air Chief Marshal but has not attained the age of sixty-two years on the date of his appointment:

Provided that the Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, extend the service of the Chief of Defence Staff for such period as it may deem necessary subject to a maximum age of sixty-five years.”

[F. No. 9/1/2017-PO(Def)-Part I]

SATISH SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The regulations were last amended, vide S.R.O. 21(E) dated the 28<sup>th</sup> December, 2019.